पंचायत निगरानी संख्या : 204 / 2024
उनवान : गणपतलाल व अन्य बनाम गुड्डीदेवी व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 204 / 2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024 / 226

प्रार्थी :–

1. गणपतलाल पुत्र श्री रामलाल जाति लुहार निवासी डायलाना,कला तहसील देसूरी जिला पाली राज.
2. चन्द्रप्रकाश पुत्र श्री घीसुलाल जाति सोनी निवासी पाचेटिया, तहसील मारवाड जक्शन जिला पाली राज.
3. ताराराम पुत्र भगाराम जाति सीरवी निवासी सांसरी तहसील देसूरी जिला पाली राज.
4. गेरीदेवी पत्नी श्री भूराराम जाति सीरवी निवासी सांसरी तहसील देसूरी जिला पाली राज.
5. राजेश कुमार पुत्र घीसुलाल जाति सोनी निवासी पाचेटिया तहसील मारवाड जक्शन जिला पाली राज.

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. गुड्डीदेवी पत्नी भंवरलाल, जाति मेवाडा निवासी डायलाना कला, तहसील देसूरी जिला पाली राज.
2. ग्राम पंचायत डायलाना कला, तहसील देसूरी जिला पाली राज. जरिये सरपंच ग्राम पंचायत डायलना कला, तहसील देसूरी, जिला पाली राज.

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत बखिलाफ पट्टा संख्या 72 प्रस्ताव संख्या 05, प्रस्ताव दिनांक 04.02.2013 पट्टा आदेश दिनांक 04.02.2013 मिसल संख्या 22 / 2012–13 जिसमें अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा दिनांक 09.02.2013 को पट्टा जारी किया गया जिसे निरस्त करवाने बाबत्।

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मूलसिंह यादव।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

–:निर्णय:–

दिनांक: 19.08.2025

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 के तहत ग्राम पंचायत डायलान कला के पट्टा संख्या 72 प्रस्ताव संख्या 05, प्रस्ताव दिनांक 04.02.2013 पट्टा आदेश दिनांक 04.02.2013 मिसल संख्या 22 / 2012–13 जिसमें अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा दिनांक 09.02.

अति. जिला कलक्टर बाली (पाली)

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 204/2024
उनवान : गणपतलाल व अन्य बनाम गुड्डीदेवी व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

2013 को पट्टा जारी किया गया जिसे निरस्त करवाने बाबत् पेश की गई निगरानी याचिका दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

निगरानी याचिका के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा डायलाना कला के खसरा नम्बर 917 रकबा 0.21 हैक्टर की कृषि भूमि स्थित रही है, इस कृषि भूमि के दक्षिण की तरफ एनीकट की पाल हैं तथा पूर्व की तरफ रास्ते की भूमि है व इसके बीच में ग्राम पंचायत की कोई भी आबादी भूमि स्थित नही हैं परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 को जो पट्टा दिया गया है, यह खसरा नम्बर 917 की कृषि भूमि है। उक्त भूमि ग्राम पंचायत की भूमि पट्टा आवेदन किये जाते समय व पट्टा दिये जाते समय नहीं थी, इस कारण से जो पट्टा जारी किया गया हैं, यह विधि विरुद्ध है। खसरा नम्बर 917 की कृषि भूमि का स्वामित्व ताराचंद में निहित था व ताराचंद द्वारा दिनांक 08.12.2010 को पंजीयन बेचाण के जरिये कृषि भूमि खरीद की गई थी व तत्पश्चात ताराचंद द्वारा गणपतलाल, चन्द्रप्रकाश व गेरीदेवी को कृषि भूमि को बेचाण हस्तान्तरण दिनांक 27.04.2011 को किया गया व ताराचंद द्वारा उक्त कृषि भूमि बेचाण करने के बाद ताराचंद के पास रकबा 0.20 हैक्टर भूमि शेष रही। ताराचंद, गणपतलाल, चन्द्रप्रकाश, गेरीदेवी द्वारा उक्त भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ रुपान्तरण करवाने हेतु तहसीलदार के यहा आवेदन किया व दिनांक 09.02.2013 से पूर्व उक्त भूमि कृषि उपयोग की भूमि थी व ग्राम पंचायत में भी निहित नही थी फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरुद्ध तरीके से अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि नही होते हुये भी पट्टा जारी कर दिया, जो पट्टा विधि के प्रावधानों के विरुद्ध है। ग्राम पंचायत द्वारा 200/– रुपये फीस प्राप्त कर पट्टा जारी किया गया है, जिस स्थान पर पर पट्टा जारी किया गया है, उक्त स्थान पर अप्रार्थी संख्या 01 का किसी भी प्रकार से कोई मकान बना हुआ नहीं हैं, ना ही उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 01 की कभी पैतृक ही रही हैं, ना ही कभी रहवास रहा हैं, इस कारण से जो नियमितिकरण का आधार बनाकर जो पट्टा जारी किया गया है, यह विधि अनुसार नहीं है, निरीक्षण प्रपत्र में भी तथा आवेदन में भी मकान बना हुआ नही बताया गया है व बयान में भी मकान बनाया हुआ नही बताया गया हैं, इस कारण से नियमितिकरण के आधार पर जो पट्टा जारी किया गया हैं, यह विधि विरुद्ध हैं। अप्रार्थी को जो पट्टा जारी किया गया है, इसमें पूर्व में आम रास्ता बताया गया है तथा दक्षिण में एनीकट की पाल बताई गई हैं, उक्त लोकेशन के आधार पर दर्शित भूमि खसरा नम्बर 917 की हैं व खसरा नम्बर 917 ग्राम पंचायत की भूमि नही है, अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा प्रार्थीगण से खसरा नम्बर 917 की भूमि ना तो खरीद की हैं, ना ही कब्जा प्रार्थीगण से प्राप्त किया हैं तथा मौके पर कब्जा भी प्रार्थीगण का नही हैं, इस कारण जो पट्टा जारी किया गया है वह विधि विरुद्ध है। यह है कि ग्राम पंचायत द्वारा आपत्ति पत्र जारी किया गया यह तारीख अंकित नही है तथा आपत्ति पत्र में पृष्ठ पर संगीता, सुरेश कुमार, ललित के सामने चस्पानगी बताई गई है, यह भी नियमों के अनुसार नही है, यह व्यक्ति कौन है, पिता का क्या नाम है व जाति क्या है, कहा के

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 204/2024
उनवान : गणपतलाल व अन्य बनाम गुड्डीदेवी व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

निवासी है यह भी आपत्ति पत्र में दर्ज नहीं है, आपत्ति पत्र विधि अनुसार नहीं है प्रार्थी द्वारा आवेदन शुल्क व नक्शा भी जमा नहीं करवाया हैं, ना ही आदेशिका में उक्त शूल्क जमा करवाने की टिप्पणी ही दर्ज है, पट्टा अप्रार्थी को दिनांक 09.02.2013 को जारी हो चुका व पट्टे पर पट्टा शूल्क 200/– रुपये दिनांक 05.04.2013 को पट्टा जारी होने के 03 माह बाद जमा करना दर्शाया गया हैं, आदेशिकाओं के नीचे सरपंच की सील नही हैं, ना ही हस्ताक्षर है व उक्त सील हासिये में लगी हुई है, आदेशिकाए प्रिन्टेड है व एक ही दिन में तैयार किया जाना दर्शित रखती हैं, निरीक्षण कब किया गया, किस भूमि का किया गया व भूमि का नाप कितना है, यह प्रपत्र में दर्ज नहीं है न ही पश्चिम की तरफ गणेशराम का व उत्तर की तरफ नारंगी का मकान है। गलत तथ्य दर्ज कर पट्टा अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अपने पक्ष में जारी करवाया है, नियम 157(1) के तहत पट्टा अप्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी नही था, ग्राम पंचायत के कोरम में अप्रार्थी को पट्टा देने का आदेश पारित नही किया गया तथा एक ही दिन में कार्यवाही कर पट्टा अप्रार्थी को जारी किया गया हैं, जो निरस्तनीय है। यह भी कि, ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 से दुर्भिसंधि कर अप्रार्थी का मकान नही होते हुये भी व ग्राम पंचायत की आबादी भूमि नहीं होते हुये भी अप्रार्थी को बिना प्रक्रिया अपनाये, बिना नियमों का पालन किये दुर्भिसंधि के जरिये अप्रार्थी संख्या 01 को अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा पट्टा जारी कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य। अतः निगरानी पेश कर निवेदन है कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में पट्टा संख्या 72 प्रस्ताव दिनांक 04.02.2013, पट्टा आदेश दिनांक 04.02.2013 मिसल संख्या 28/2012–13, दिनांक 09.02.2013 को जारी किया गया है, इस पट्टे को प्रस्ताव को, पट्टा आदेश को व कार्यवाहियों को एवं पट्टे को निरस्त फरमाया जावे व पट्टा बुक की प्रति में तथा अप्रार्थी संख्या 01 का पट्टा तलब कर निरस्ती का नोट अंकित किया जावे।

अप्रार्थी संख्या एक का सम्मन पति से तथा अप्रार्थी संख्या दो का स्वयं से तामील होकर प्राप्त। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित होने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही प्रभाव में लाई जाती है। प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड तलब करने पर ग्राम पंचायत डायलना कला द्वारा दिनांक 29.07.2025 को अवगत कराया कि पट्टा बुक मय मूल पट्टा एवं मिसल के अतिरिक्त अन्य रिकॉर्ड यथा बैठक कार्यवाही रजिस्टर पंचायत रिकॉर्ड में नहीं पाया गया।

पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से प्रार्थीपक्ष की एकतरफा बहस सुनने का निश्चय किया गया। काबिल अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने वक्त बहस निवेदन किया कि जैर निगरानी आलोच्य पट्टा विलेख से सम्बन्धित भूमि प्रार्थीगण की स्वामित्वशुदा संपरिवर्तित भूमि है, जिसके पूर्व खसरा संख्या 917 थे तथा जिसका दिनांक 09.02.2013 को आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किया गया। ज़ैर निगरानी आलोच्य भूमि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि नहीं होने से पंचायत द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आलोच्य पट्टा विलेख जारी किया गया है। यह भी, कि ग्राम पंचायत डायलाना कला द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 को आलोच्य पट्टा विलेख जारी करने

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

से पूर्व राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के आज्ञापक उपबन्धों की भी पालना नहीं की गई, जिसका पैरावार विवरण निगरानी याचिका में दिया गया है। बहस को समेकित करते हुए अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने निवेदन किया कि अवैधानिक ढंग से निष्पादित आलोच्य संकल्प एवं पट्टे को निरस्त फरमाया जाए।

काबिल अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष की एकतरफा बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित मूल मिसल व पट्टे की मूल प्रति का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

प्रार्थीगण द्वारा जैर निगरानी आलोच्य पट्टे एवं संकल्प को मुख्यतः दो आधारों पर चुनौति दी गई है:—

1. आलोच्य पट्टा विलेख ग्राम पंचायत डायलाना कलां में स्थित खसरा संख्या 917 की तत्समय कृषि भूमि में जारी किया गया है तथा ग्राम पंचायत को गैर आबादी भूमि में ऐसी कार्यवाही का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है।
2. जैर निगरानी आलोच्य मिसल संख्या 22/2012—13 में निष्पादित समस्त कार्यवाही राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 में उपबन्धित आज्ञापक प्रक्रियात्मक प्रावधानों के उल्लंघन में सम्पादित की गई है।

प्रथमतः, प्रार्थीगण ने निगरानी याचिका में यह कथन किया है कि ग्राम डायलना कलां की कृषि भूमि खसरा संख्या 917, जो बाद में अकृषि रुपान्तरित करवायी गई, में प्रश्नगत पट्टा विलेख जारी किया गया है जो ग्राम पंचायत द्वारा गैर आबादी भूमि में पट्टा जारी कर अधिकारिता से परे जाकर किया गया कृत्य है। उक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 917 को दिनांक 09.02.2013 को आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित करवाया गया। किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा पारित आलोच्य संकल्प संख्या 05 दिनांक 04.02.2013 को प्रश्नगत भूमि कृषि भूमि ही दर्ज थी, जिस पर पट्टा विलेख निष्पादित करने बाबत् निर्णय लेने का ग्राम पंचायत को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। पत्रावली में सलंग्न जमाबन्दी संवत् 2066—69 से उक्त तथ्य की तस्दीक भी होती है। अप्रार्थीगण द्वारा इसके खण्डन हेतु न्यायालय में उपस्थित होकर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो उपरोक्त तथ्य के प्रतिकुल उपधारणा करने में सहायक हो। अतः प्रार्थीगण को 'हितबद्ध व्यक्ति' की श्रेणी में शुमार माना जाकर आलोच्य संकल्प तथा पट्टा विलेख का वैधानिक एवं प्रक्रियात्मक आधारों पर विवेचन करने का निश्चय किया जाता है।

द्वितीयतः, जैर निगरानी आलोच्य भूमि विक्रय विलेख ग्राम पंचायत डायलना कलां द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के अन्तर्गत पुराने गृहों के विनियमितिकरण के रुप में अप्रार्थीया श्रीमती गुड्डी देवी के पक्ष में निष्पादित किया गया है, जिसके पट्टा क्रमांक 72 है एवं उक्त पट्टा विलेख ग्राम पंचायत द्वारा पारित संकल्प संख्या 05 दिनांक 04.02.2013 की

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 204/2024
उनवान : गणपतलाल व अन्य बनाम गुड्डीदेवी व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

अनुपालना में दिनांक 09.02.2013 को जारी किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत इस आक्षेप की जांच हेतु मूल मिसल संख्या 22/2012–13 का अवलोकन किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य पट्टा विलेख स्वीकृति से पूर्व नियम 1996 में विहित प्रक्रियात्मक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। मिसल संख्या 22/2012–13 के गहन अवलोकन एवं अध्ययन उपरान्त निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्य उभरकर सामने आते है:–

1. सम्पूर्ण मिसल में पट्टा बनाने हेतु कोई आवेदन सलंग्न नहीं है। यद्यपि आदेशिका दिनांक 21.09.2012 में आवेदन का उल्लेख अवश्य है, किन्तु मिसल में ऐसी कोई रसीद भी सलंग्न नहीं है जिससे यह उपधारणा की जा सके कि अप्रार्थीया द्वारा पट्टा बनाने हेतु आवेदन तथा आज्ञापक नक्शा शुल्क व आवेदन शुल्क प्रस्तुत किया हो। इससे यह स्पष्ट होता है कि हस्तगत प्रकरण में बिना आवेदन के ही मिसल दर्ज कर जैर आलोच्य कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 145 की पालना नही की गई।
2. आदेशिका दिनांक 04.02.2013 में अप्रार्थीया श्रीमती गुड्डी देवी का 25 वर्ष पुराना कब्जा मानते हुए राशि 200/– रुपये की एवज में नियम 157 (क) के अन्तर्गत पट्टा जारी करने का निर्णय अंकित है। यहाँ यह अंकन करना महत्वपूर्ण है कि राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 के अन्तर्गत पचास वर्ष अथवा अधिक अवधि से पूर्व निर्मित गृहों के विनियमितिकरण का प्रावधान है, किन्तु मिसल में प्रदत्त आज्ञा दिनांक 04.02.2013 में मात्र 25 वर्ष पुराना कब्जा होने का अंकन किया गया है। इसके अतिरिक्त मिसल में संलग्न बयानों में श्री भूरदास एवं पनाराम द्वारा भी प्रश्नगत भूमि पर श्रीमती गुड्डी देवी का 25 वर्ष पुराना कब्जा ही माना है। यहाँ तक कि मिसल में पट्टाधारी श्रीमती गुड्डीदेवी द्वारा लेखबद्ध बयानों में भी स्वयं अप्रार्थीया ने अपना कब्जा मात्र 25 वर्ष पुराना ही माना है। **राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 में 25 वर्ष कब्जे के आधार पर विनियमितिकरण का कोई प्रावधान नही है।**
3. मिसल में सलंग्न बयानों तथा आज्ञा दिनांक 04.02.2013 में प्रश्नगत भूमि पर अप्रार्थीया का मकान निर्मित होने का अंकन है, जबकि प्रार्थीगण द्वारा इस खण्डन निगरानी याचिका के पैराग्राफ संख्या चार में यह अंकित किया है कि मौके पर कोई मकान निर्मित नहीं है और खाली भूखण्ड पर अप्रार्थीया का पुश्तैनी कब्जा मानते हुए अवैध पट्टा जारी किया गया है। इस सम्बन्ध में मिसल में सलंग्न स्थल निरीक्षण प्रपत्र का अवलोकन करना प्रासंगिक है। नियम 146 के प्रावधानान्तर्गत गठित तीन पंचों की समिति द्वारा प्रश्नगत भूमि का निरीक्षण कर यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि "पुश्तैनी कब्जाशुदा वाडा है जहाँ पहले कच्चा मकान बना हुआ था जो गिर गया है, पट्टा बनाया जाना उचित है, अतः पट्टा बनाने से पूर्व एक माह का आपत्ति इश्तिहार चस्पा हो।"

अति. जिला कलक्टर (पाली)

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

इस प्रकार स्पष्ट है कि स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में 'कब्जाशुदा वाडा' होना ही अंकित है, न कि मकान। यदि पूर्व में कच्चा मकान था, तो भी मिसल कायमी, स्थल निरीक्षण तथा आलोच्य पट्टा विलेख जारी करने के समय उक्त भूखण्ड खाली होना स्थल निरीक्षण रिपोर्ट से ही प्रमाणित है और राजस्थान पंचायतीराज नियम के नियम 157 में खाली भूखण्ड के विनियमितिकरण का कोई प्रावधान नही है।

4. यहाँ यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि आलोच्य पट्टा दिनांक 09.02.2013 को निष्पादित किया गया, जबकि अपेक्षित पट्टा शुल्क राशि दो सौ रुपये ज़रिए रसीद क्रमांक 371 दिनांक 04.05.2013 को पंचायत कोष में जमा करवाए गए। अर्थात् पट्टा शुल्क जमा करवाने से लगभग तीन माह पूर्व ही आलोच्य पट्टा विलेख जारी कर दिया गया, जो अनुमत नहीं है।

उपरोक्तानुसार यह सिद्ध हो जाता है कि ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य पट्टा विलेख संख्या 72 निष्पादित करने से पूर्व राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 में विहित प्रक्रियात्मक उपबन्धों की पूर्णतः पालना नहीं की गई है तथा मात्र 25 वर्षों का पुश्तैनी कब्जा मानकर खाली भूखण्ड का पट्टा नियम 157 के अन्तर्गत जारी किया गया है, जो अवैधानिक तथा अधिकारिता से परे जाकर निष्पादित कार्यवाही सिद्ध होती है।

अतः हस्तगत पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत डायलाना कलां द्वारा मिसल संख्या 22/2012–13 में निष्पादित भूमि विक्रय विलेख संख्या 72 दिनांक 09.02.2013 तथा उक्त विलेख पर अंकित पंचायत संकल्प संख्या 5 दिनांक 04.02.2013 को अपास्त किया जाता है। साथ ही, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत डायलना कलां को निर्देश दिए जाते है कि अपास्त किए गए भूमि विक्रय विलेख की मूल कार्यालय प्रति पर लाल स्याही से बड़े अक्षरों में 'निरस्त' का अंकन किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 19.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। अधीनस्थ पंचायत द्वारा प्रेषित मूल रिकॉर्ड लौटाया जाए।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner